(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) Yes, Sir.

(b) The proposal for creation of two posts of Director (Safety & Training), oone each in Eastern Coalfields Limited (ECL) and Bharat Coking Coal Limited (BCCL) was approved by the Board of Directors of Cool India Limited (CIL) in September, 1989.

(c) to (e) Experienced and senior officers of the rank of Chief General Manager, who are competent to effectively take care of the safety requirements of their respective companies head the Safety Division in ECL and BCCL. Creation of posts at Director level has not been agreed as the post in itself is not expected to improve the safety status.

कोयले की ढुलाई के लिए सड़कों का निर्माण

5059. **श्री आस मोहम्मद** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोयले की ढुलाई के लिए बिहार की सड़कों को पक्का करने और चौड़ा करने संबंधी कोई प्रस्ताव लम्बित है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) । (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

कोयला नियंत्रण आदेश का कार्यान्वयन

5060. **श्री संघ प्रिय गौतम** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला नियंत्रण आदेश को कार्यान्वित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उक्त आदेश को कार्यान्वित किए जाने के बाद लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं ;

(घ) क्या सरकार कोयला नियंत्रण आदेश का प्रतिसंहरण करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) इस संबंध में शायद माननीय सदस्य कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 4-6-92 की अधिसूचना का उल्लेख कर रहे हैं जिनके द्वारा अ-कोककर कोयले के वितरण को इस आदेश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया है । इस अधिसूचना को अ-कोककर कोयले के अनाधिकृत रूप में परिवर्तन किए जाने संबंधी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया था ।

(ग) से (ङ) कोलियरी नियंत्रण आदेश को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अंतर्गत प्रवृत्त रखा गया है । कोयला वितरण, कोयला ग्रेड का निर्धारण, कोयले के विभिन्न ग्रेडों के लिए कीमत निर्धारण, आदि सहित विभिन्न मामलों से निपटने के लिए उक्त आदेश में प्रावधान दिए गए हैं । इन प्रावधानों को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल संशोधित किया जा सकता है ।